न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

परिवाद पत्र संख्या :-90/2019

आदेश

18.11.2019 परिवादिनी की हाजरी दी गई है । अभिलेख आदेश हेतु निश्चित है । अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया ।

अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि परिवादिनी रजिया खातुन के द्वारा अभियुक्तगण मो0 मकसुद अंसारी, नेजामुद्दीन अंसारी, रूकेदा खातुन, मरियम खातुन एवं कलाम अंसारी के विरूद्ध परिवाद पत्र दाखिल किया है । परिवादिनी द्वारा दाखिल परिवाद पत्र, परिवादिनी का सशपथ बयान एवं परिवादिनी के द्वारा प्रस्तुत कराये गये जाँच साक्षियों के साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

परिवाद पत्र एवं उपरोक्त जाँच साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर परिवाद पत्र के नामांकित अभियुक्तगण में से अभियुक्त मो0 मकसुद अंसारी, मरियम खातुन एवं कलाम अंसारी के विरूद्ध धारा 498ए भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है ।

परिवादिनी को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्तों के विरूद्ध समन निर्गत करने हेतु आवश्यक अपेक्षिकाएँ एक सप्ताह के अंदर दाखिल करे । तत्पश्यात् कार्यालय उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध समन निर्गत करे । दिनांकः-13-01-2020 वास्ते अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।